

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

आदेश-पत्रक

आलमगीर फ़ैजी

(देखें अभिलेख हस्तांक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० ०८/०८/१६ से तक

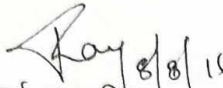
जिला- बोकारो केश सं०- ११/२०१६

केश का प्रकार- Confiscation Case

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
०८/०८/१६	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बी०एस०सिटी, बोकारो के पत्रांक- 62/आ०, दिनांक-30.05.2016 के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 की धारा- 7 के अन्तर्गत जब्त किए गए किरासन तेल अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बी०एस०सिटी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थाना माराफारी द्वारा आलमगीर फ़ैजी उर्फ निहाल मल्लिक पिता स्व० मौलवी अली हसन, सा० आजाद नगर, थाना- माराफारी, जिला बोकारो के घर कुरकी निरीक्षण के समय एक कमरा में तीन टिना के ड्रम में लगभग 500 (पाँच सौ) ली० नीला रंग का किरासन तेल एवं तीन बड़ा खाली गैलन पाया गया। जिसके संदर्भ में उनके पास कोई कागजात नहीं था। 500 (पाँच सौ) लीटर ब्लू रंग का किरासन तेल कालाबाजारी करने के उद्देश्य से अवैध रूप से भंडारित पाया गया। इसके लिए आलमगीर फ़ैजी उर्फ निहाल मल्लिक पिता स्व० मौलवी अली हसन, सा० आजाद नगर, थाना- माराफारी, जिला बोकारो के विरुद्ध किरासन तेल कालाबाजारी करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 की धारा- 7 के तहत माराफारी थाना कांड संख्या-19/2016 दिनांक-27.05.2016 दर्ज किया गया। जब्त किरासन तेल अधिक मुनाफा कमाने हेतु कालाबाजारी के लिए अवैध रूप से रखा गया था जो आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अनुज्ञा एकीकरण आदेश का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है। चूँकि किरासन तेल नाशवान वस्तु है एवं एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक रहने से सहज ही नष्ट होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संतुष्ट होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) (2) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि जब्त किरासन तेल को नियमानुसार शीघ्र बिक्री करवाने की व्यवस्था अनुमण्डल पदाधिकारी, चास अपनी देख-रेख में सुनिश्चित करेंगे तथा प्राप्त राशि नजारत में जमा रखेंगे। तदनुसार आदेश निर्गत करें। माराफारी थाना मे दर्ज प्राथमिकी धारा-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध दायर किया गया है। अतः	13/09/16 14/10/16

आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक-13/09/16 को 11.00 बजे पूर्वाह्न स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं अनियमितता के कारण जब्त किरासन तेल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-6 (ए) के अन्तर्गत अधिहरण कर लिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता-सह जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।


समाहर्ता-सह जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

18/10/16
18/10/16
18/10/16

13/09/16
14/09/16

शुक्रवार को विपक्षी को जाने के लिए न्यायालय
जाते नहीं थे।
14/10/16

14/10/16

प्रमाण पत्र
जीएसटी पत्र अन्तर्गत जाने के लिए है।
25/11/16

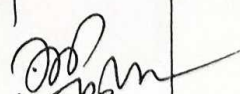
25/11/16

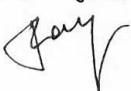
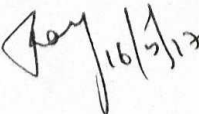
प्रमाण पत्र, जीएसटी के पत्र 113 दिनांक 04/10/16 से प्रमाणित प्राप्त।
जीएसटी पत्र अन्तर्गत जाने के लिए है।
09/12/16

09/12/16

प्रमाण पत्र, जीएसटी के पत्र 113
दिनांक 04/10/16 से प्रमाणित प्राप्त।

विपक्षी अनुपस्थित।
जीएसटी पत्र अन्तर्गत जाने के लिए है।
27/12/16


प्रमाण पत्र

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और अधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
27/12/16	विपक्षी अनुपस्थित। जीवासीन पदार्थ प्रेषण करने के आदेश। तः 31/01/17	 आदेश पदार्थ
31/01/17	विपक्षी अनुपस्थित। जीवासीन पदार्थ प्रेषण करने के आदेश। तः 03/02/17	 आदेश पदार्थ
03/02/17	विपक्षी अनुपस्थित। जीवासीन पदार्थ प्रेषण करने के आदेश। तः 04/03/17	 आदेश पदार्थ
21/03/17	विपक्षी अनुपस्थित। जीवासीन पदार्थ प्रेषण करने के आदेश। तः 02/05/17	 आदेश पदार्थ
02/05/17	विपक्षी अनुपस्थित। मार्क ऑन 16/05/17 	
16/05/17	विपक्षी अनुपस्थित। - order passed on default due to non-appearance - confiscation of material 	72/05/17 to द्वारा 05/17 to MO - B.S. - J.H.